नम्बर व ता... अहकाम जो ... हुक्म की तामील ... में जारी हुए

राजस्व वाद संख्या 09/2019

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
13/12/19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता उप0। वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा हेमानाडा पटवार क्षैत्र निम्बला तह0 शिव में खसरा नम्बर 522/317 रकबा 42.14 बीघा तथा मौजा भगवानाणियों की ढाणी पटवार हल्का निम्बला तह0 शिव मे खसरा नम्बर 539/259 रकबा 39.12 बीघा की आई हुई है। वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 विशनाराम पुत्र बुलाराम के नाम से आई हुई थी। जो उनके देहावसान पर प्रतिवादी संख्या 1 को विरासती हिस्से अनुसार प्राप्त हुई। जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद विरासत के नामान्तरकण की स्वीकृति से हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में विभाजित होकर नवसृजित ग्राम हेमानाडा व भगवानोणियो की ढाणी, तह0 शिव में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 522/317 रकबा 42.14 बीघा ग्राम हेमानाडा तथा खेत खसरा नम्बर 539/259 रकबा 39.12 बीघा ग्राम भगवानोणियो की ढाणी तह0 शिव में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आई हुई है। वादीगण जाति से कुम्हार होने से हिन्दू विधि से शासित होते है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं सहदायिकी की होने के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का जन्मतः हक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की औलादें हैं किन्तु वादीगण के पितामह विशनाराम पुत्र बुलाराम के फोत होने पर दायर नामान्तकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए। प्रतिवादीनी संख्या 2 से 7 को उनके विवाह के समय पुश्तैनी हिस्से के ऐवज में अन्य चल एवं अचल सम्पति के रूप में प्रतिफल अदा कर दिया गया होने से प्रतिवादीनी संख्या 2 से 7 का इस वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही है। अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की और से वकील श्री ईश्वरसिह भाटी द्वारा वकालातनामा मय ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 शादीसुदा है तथा अपने ससुराल मे निवास करती है तथा शादी के वक्त उनका हक हिस्सा हमारे पिता व भाईयों द्वारा नकद अदा कर दिया था इस कारण अब प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है तथा हम	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

राजस्व वाद सं. 09/2019

वदीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामाराम पुत्र हमीराराम 2. पोलाराम पुत्र हमीराराम जाति–कुम्हार, नि0 भगवानोणियो की ढाणी तह0 शिव, जिला बाडमेर।		1. हमीराराम पुत्र विशनाराम, नि0 भगवानोणियों की ढाणी 2. पेम्पोदेवी पुत्री हमीराराम पत्नी खुशालाराम, नि0 गेनाणियों की ढाणी, भाडखा तह0 बाडमेर। 3. नोखोदेवी पुत्री हमीराराम पत्नी जुगताराम, नि0 हेमानाडा 4. देवी पुत्री हमीराराम पत्नी तुलछाराम, नि0 रोहिली तह0 बाडमेर 5. उगी देवी पुत्री हमीराराम पत्नी कानाराम, नारणोणियों की ढाणी भाडखा तह0 बाडमेर। 6. पपीदेवी पुत्री हमीराराम पत्नी किशनलाल, नि0 मौखाब तह0 शिव मकूदेवी पुत्री हमीराराम पत्नी गुमनाराम, जाति– कुम्हार नि0 मुंगेरिया तह0 शिव 7. मकू देवी पुत्री हमीराराम पत्नी गुमनाराम, जाति–कुम्हार, नि0 मुंगेरिया तह0 शिव

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री देवीलाल कुमावत।
प्रतिवादी वकील – श्री ईश्वरसिंह भाटी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वकील श्री देवीलाल कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री ईश्वरसिंह भाटी उपस्थिति में आज तारीख 13.12.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 522/317 रकबा 42.14 बीघा मौजा हेमानाडा तथा खेत खसरा नम्बर 539/259 रकबा 39.12 बीघा मौजा भगवानोणियो की ढाणी तह0 शिव में प्रत्येक वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावी रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
शिव

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 से 7 अपना हक हिस्सा पूर्णतया वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क करते है तथा वादग्रस्त भूमि मे हम किसी प्रकार के हिस्से की मांग नही करेंगें। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप में ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसी अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान ने अपने बयान कलमबद्व करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदिया, खतोनीबन्दोबस्त व संरपच ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त ग्राम निम्बला, तहसील शिव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति की है। जो उन्हें विशनाराम पुत्र बुलाराम से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार हमीराराम के 2 पुत्र– रामाराम व पोलाराम व 6 पुत्रीया पेम्पो देवी, नोखोदेवी, देवी, उगीदेवी, पपीदेवी, मकूदेवी, है और इनके अतिरिक्त हमीराराम के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है तथा प्रतिवादीनी संख्या 2 से 7 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी में आये अपने पुश्तैनी हिस्से को लेने से इन्कार किया है एवं उक्त पुश्तैनी हिस्से की एवज में अन्य प्रतिफल प्राप्त कर लिया है का कथन किया होने से प्रतिवादीनी संख्या 2 से 7 का वादग्रस्त आराजी में आये उनके हक हिस्से के हकतर्क को स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भुमि होने के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 522/317 रकबा 42.14 बीघा मौजा हेमानाडा तथा खेत खसरा नम्बर 539/259 रकबा 39.12 बीघा मौजा भगवानोणियो की ढाणी तह0 शिव में प्रत्येक वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदुनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:47:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: